इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 526]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2015—पौष 8, शक 1937

पशुपालन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2015

क्र. 3-28-2010-पैंतीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतदुद्वारा, मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:--

संशोधन

उक्त नियमों में.--

- 1. नियम-6 में, उपनियम (1) में, खण्ड-(क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - ''(क) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती द्वारा.''
- नियम-11 में,
 - (एक) विद्यमान शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक स्थापित किया जाए, अर्थात्:-''प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.''
 - (दो) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जाएगी, जैसा कि सरकार, आयोग के परामर्श से, समय-समय पर, अवधारित करें.''
 - (तीन) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:--
 - सेवा के लिए अभ्यर्थियों का चयन उन अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के पश्चात् किया जाएगा जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की हो."
- अनुसूची-तीन में, अनुक्रमांक (1) के सामने, कालम (5) तथा (6) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थातु:-

अनुक्रमांक	विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	शैक्षणिक योग्यता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				''40 वर्ष	(1) ''विधि के नियमों के अधीन स्थापित भारत की किसी मान्यता प्राप्त/विश्वविद्यालय/संस्था से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक.''.
					(2) विधि के नियम के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद के अधीन, पद के विज्ञापन की तारीख से पूर्व, पंजीकृत."

No. F. 3-28-2010-XXXV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Veterinary Services (Gazetted) Recruitment Rules, 1966, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules-

- 1. In Rule 6, in sub-rule (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—
 - "(a) By direct recruitment by competitive examination."
- 2. In Rule 11,
 - (i) for existing heading, following heading shall be substituted namely:—
 "Direct Rectuitment by Competitive Examination."
 - (ii) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
 - "(1) Competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals, as the government may, in consultation with the commission, determine, from time to time."
 - (iii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
 - "(2) Selection of the candidates for the service shall be made after interview of the candidates who have qualified examination.
- 3. In Schedule-III, against serial no. (1), in column (5) and (6), for existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

S. No.	Name of the Department	Name of Service	Minimum Age	Maximum Age	Educational Qualification Prescribed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				"40 Years	(1) Graduation in Veterinary Science from any recognized University/Institution of India established under rule of law.
					(2) Registered under Madhya Pradesh State Veterinary council, established under rule of law, before the date of advertisement of the post."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कमला अजीतवार, उपसचिव.